कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांकः F-37/निदे. आयो./ले-आऊट/2011/1225 दिनांक :- 25.11.11

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.10.2011 का
कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 20.10.2011 को सांय 05.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया :–

1. श्री हरजीलाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
2. श्री नरेन्द्र कुमार बंसल, उपायुक्त (पूर्व),जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
3. श्री एम.पी.खत्री, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
4. श्री पी.आर बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. सदस्य सचिव

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणो के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार–विमर्श किया गया।

आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान मानचित्र का खसरा मानचित्र पर सुपर इम्पोज तरमीम मानचित्र प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जावे। यदि किसी कारणवश खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही सम्भव नही हो, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे।

आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणो पर समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली कार्यवाही से प्रार्थी को पत्र लिखकर अवगत करवाया जावे, ताकि प्रार्थी समिति द्वारा चाही जाने वाली सूचनाओ की यथासमय पूर्ति कर सके।

उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत करवाया गया कि तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राप्त होने वाले कई प्रकरणो की समीपीय भूमियो पर पूर्व में अतिरिक्त कलक्टर (भूमि रूपान्तरण), पंचायत इत्यादि संस्थाओ द्वारा 30 फीट चौड़ी सड़को पर पट्टा विलेख जारी कर दिये गये हैं, जिससे उक्त क्षेत्र में वर्तमान में आवेदित भूमियो के ले–आऊट प्लान में 40′ व इससे अधिक चौड़ी सड़को का प्रावधान करने में कठिनाई

आती हैं। आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे जाने के लिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि सामान्यतया तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राप्त होने वाले ले–आऊट प्लान की एक प्रति ही पत्रावली में उपलब्ध करवाई जाती हैं एवं वह प्रति 90–बी शाखा की मूल पत्रावली में लगी रह जाने के कारण आयोजना शाखा में कोई रिकार्ड नही रह पाता हैं, जिससे भविष्य में प्राप्त होने वाले ले–आऊट प्लानो के तकनीकी अनुमोदन में कठिनाई आती हैं एवं त्रुटि की पूर्ण सम्भावना रहती हैं। आयुक्त द्वारा सभी उपायुक्तगणो एवं निदेशक (आयोजना) को निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस सम्बन्ध में जारी हुए कार्यालय आदेश पीएस आयुक्त/2011/4136, दिनांक 12.04.2011 की आवश्यक रूप से पालना की जावे, जिसमें ले–आऊट प्लान अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। आयुक्त द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्व में सम्पन्न हुई ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठको में जितने भी ले–आऊट प्लान अनुमोदित हुए हैं, उनकी एक–एक सत्यापित प्रतिलिपि आयोजना शाखा में रिकार्ड हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी।

तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले–आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार–विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :–

1. **राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 269 की रकबा 35444.26 वर्गमीटर भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अनुमोदित ले–आऊट प्लान में अनुमोदन।**
   आवेदक :– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 269 की रकबा 35444.26 वर्गमीटर भूमि व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में होकर जोधपुर–पाली सड़क के पश्चिम में स्थित हैं। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकार्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं, अर्थात् भूमि का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण का हैं। उक्त भूमि का योजना मानचित्र अभियान्त्रिकी शाखा द्वारा दिये गये मापक के आधार पर मानचित्र शाखा द्वारा तैयार किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं। प्रस्तुत ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया हैं।

समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मद्देनजर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त ले–आऊट प्लान में प्रस्तावित भूखण्डो का निष्पादन नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया।

2. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 115 मी, 115/2 मी, 114/2, 114/5, 120, 122/1, 124/1, 124, 126, 125, 125/1, 125/2, 125/4, 125/3, 125/5, 127/3, 126/1, 127/2 की रकबा 158 बीघा 16 बिस्वा तथा भूखण्ड संख्या 97, 98 व 99 एवं राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 211, 212, 210 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 203.06 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित ले–आऊट प्लान में संशोधन।
आवेदक :– अधिकृत प्रतिनिधि सहारा इण्डिया कॉमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड।
प्रकरण संख्या 1542/05

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 115 मी, 115/2 मी, 114/2, 114/5, 120, 122/1, 124/1, 124, 126, 125, 125/1, 125/2, 125/4, 125/3, 125/5, 127/3, 126/1, 127/2 की रकबा 158 बीघा 16 बिस्वा एवं राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 211, 212, 210 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 203.06 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेड:1628:जेपीआर, दिनांक 20.01.2007 को अनुमोदित किया गया हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा संशोधन चाहा गया हैं। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 01.03.2007 को आवेदित भूमि की भूमि समर्पण सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर दिनांक 17.03.2007 को राजस्व रेकार्ड में भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गई हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के निर्णय, दिनांक 01.03.2007 में राजस्व (ग्रुप–6) के स्पष्टीकरण परिपत्र कमांक प.06(54)राज–6/2001–पार्ट/21, दिनांक 19.11.2005 की अनुपालना में अनुमोदित ले–आऊट प्लान में अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि के अधिकारो का पर्यवसान एवं भूमि का पुर्नग्रहण करने के बाद न्यास द्वारा भूमि का नियमितिकरण कर लीज डीड अनुसूचित जाति वर्ग के प्रार्थीगणो की देय होने का उल्लेख किया गया हैं। संशोधनो हेतु प्रस्तुत ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया हैं।

समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मद्देनजर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी के निर्णय, दिनांक 01.03.2007 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि को अनुमोदित ले–आऊट प्लान में पृथक रंग से दर्शाया जाना होगा एवं उक्त भूखण्डो की लीज डीड अनुसूचित जाति वर्ग के प्रार्थीगणो को ही देय होगी। उक्त कार्यवाही पूर्ण कर सम्बन्धित उपायुक्त एवं सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रमाणीकरण के पश्चात् ले–आऊट प्लान जारी किया जावे।

प्रकरण की मूल पत्रावली पूर्व मे माथुर आयोग को प्रेषित की गई थी, जो सम्भवतया आयोग द्वारा नगरीय विकास विभाग को भिजवा दी गई हैं। मूल पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् ही पट्टा विलेख जारी किये जावे एवं यदि मूल पत्रावली में माथुर आयोग द्वारा कोई अन्य निर्णय लिया जाता हैं, तो उक्त समस्त कार्यवाही उक्त निर्णय के अध्यधीन होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व सड़को की सुनिश्चितता करने एवं पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3. राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा नम्बर 33 की रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्रीमती संध्या चौधरी पत्नी श्री सुखराम चौधरी
प्रकरण संख्या :– 695/07

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा नम्बर 33 की रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेडः1628ःखारड़ा रणधीर, दिनांक 17.10.2007 को अनुमोदित किया गया हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा संशोधन चाहा गया हैं। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 01.03.2007 को आवेदित भूमि की भूमि समर्पण सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर राजस्व रेकार्ड में भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गई हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण करवाया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि में से रास्ते बाबत् मेघवाल एवं भील बस्ती वासियो द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई हैं एवं इस सम्बन्ध में जिला

न्यायाधीश, जोधपुर में अपील विचाराधीन हैं। समिति द्वारा विचार–विमर्श कर वाद के निस्तारण के उपरान्त प्रकरण को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 233/1, 233/2, 233/3 व 238/4 की रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :–श्रीमती मीरादेवी पत्नि श्री किशनलाल, योगिता पुत्री वासुदेव वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 58/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 233/1, 233/2, 233/3 व 238/4 की रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में होकर आगंणवा–खोखरिया सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण करवाया गया, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। उनके द्वारा आंगणवा–खोखरिया सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50 फीट छोड़े जाने हेतु ले–आऊट प्लान में अंकन कर दिया गया हैं। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण किया गया हैं, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप किया जाना हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी–2010 में प्रावधानो के अनुसार योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने की स्थिति में सुविधा क्षेत्रो एवं पार्क हेतु न्यूनतम 15 प्रतिशत भूमि आरक्षित की जानी हैं, जिसका प्रावधान उक्त ले–आऊट प्लान में नही किया गया हैं। समिति द्वारा उक्तानुसार संशोधन करने के उपरान्त हीं ले–आऊट प्लान जारी करने हेतु निदेशक (आयोजना) को निर्देशित किया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त

ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 34 की रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–भाग्य श्री पुत्री श्री सतकरण
प्रकरण संख्या :– 63/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 34 की रकबा 8 बीघा 19 बिस्वाभूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण करवाया गया, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण नही किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श के दौरान पाया गया कि ले–आऊट प्लान के सुपरइमपोजिशन से प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि एवं राजस्व रास्ते के मध्य राजकीय भूमि होना प्रतीत होता हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि को एप्रोच राजकीय भूमि में से होकर मिलेगी। समिति द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही होने की सुनिश्चतता की जावे एवं यदि प्रार्थी एप्रोच हेतु राजकीय भूमि का उपयोग लेना चाहे, तो आरक्षित दर से राशि जमा करवानी होगी। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें एप्रोच हेतु सड़क की राशि जमा करवाई जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 35 की रकबा 9.14 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्रीमती मोहिनी पत्नि श्री जीयाराम
प्रकरण संख्या :– 61/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 35 की रकबा 9.14 बीघाभूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण करवाया गया, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित समीपीय भूमिका ले–आऊट प्लान भी अनुमोदित किया जा रहा हैं तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए 40′ चौड़ी सड़क से भीं एप्रोच उपलब्ध होती हैं। उक्त सड़क को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में प्रावधानिक किया गया हैं। उक्त योजना का क्षैत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण नही किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 32 व 33 की रकबा 33 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्रीमती मोहर कंवर पत्नि श्री करणसिंह जी
प्रकरण संख्या 62/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 32 व 33 की रकबा 33 बीघा2 बिस्वाभूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र स्थित होकर ट्रांसपोर्ट

नगर के उत्तर दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण करवाया गया, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित समीपीय भूमियो के ले–आऊट प्लान भी अनुमोदित किये जा रहे हैं तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार ले–आऊट प्लान में प्रस्तावित सड़को को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में प्रावधानिक किया गया हैं। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण किया गया हैं, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप किया जाना हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया कि प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

8. राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 171 की रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री मेघाराम, श्रीमती अमोल देवी वगैराह
प्रकरण संख्या :– 477/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 171 की रकबा 10 बीघा 11 बिस्वाभूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण करवाया गया, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने

के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण नहीं किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि के भू-उपयोग के सम्बन्ध में एक आपत्ति प्राप्त हुई हैं, जिसमें उक्त भूमि का भू-उपयोग वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ आरक्षित होने का उल्लेख किया गया हैं। उप नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव ने अवगत करया कि सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि का भू-उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित होना बताया हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि वे प्रस्तावित भूमि का अंकन भू-उपयोग योजना मानचित्र पर कर, भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित होने की सुनिश्चितता करे एवं पूर्व में प्राप्त आपत्ति (सम्पर्क सड़क व भू-उपयोग) बाबत उप नगर नियोजक एवं उपायुक्त से पृथक से संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

9. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 42 की रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :-श्री विशनाराम पुत्र श्री ओमप्रकाश
प्रकरण संख्या :- 56/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 42 की रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर आगंणवा-सुरपुरा सड़क के पश्चिम में स्थित हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं, जिसमें संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर आगंणवा–सुरपुरा सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट के स्थान पर 80 फीट किये जाने का निर्णय लिया गया एवं इस हेतु सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट भूमि छोड़ने के उपरान्त ~~नियमन सम्बन्धी~~ कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण सम्बन्धित उपायुक्त एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे एवं मौका स्थिति उक्तानुसार पाये जाने पर प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 164 व 164/1 की रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्रीमती संतोष जैन
प्रकरण संख्या :– 76/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 164 व 164/1 की रकबा 20.13 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर भोपालगढ़–आगंणवा सड़क के उत्तर में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया। उनके द्वारा भोपालगढ–आगंणवा सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 75 फीट छोड़े जाने हेतु ले–आऊट प्लान में अंकन कर दिया गया हैं। उक्त भूमि में से होकर विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही हैं, विद्युत हाईटेन्शन लाईन के सहारे–सहारे 40′ सड़क प्रस्तावित की गई हैं, उसे 60′ चौड़ा करने हेतु आवश्यक संशोधन किया गया हैं, ताकि हाईटेन्शन लाईन के दोनो ओर पर्याप्त दूरी रह सके। इसके साथ–साथ इस प्रस्तावित सड़क के सहारे–सहारे स्थित भूखण्डो पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नही हो।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण किया गया हैं, जिनका

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर आगंणवा–सुरपुरा सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट के स्थान पर 80 फीट किये जाने का निर्णय लिया गया एवं इस हेतु सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट भूमि छोड़ने के उपरान्त ~~नियमन सम्बन्धी~~ कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण सम्बन्धित उपायुक्त एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे एवं मौका स्थिति उक्तानुसार पाये जाने पर प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 164 व 164/1 की रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्रीमती संतोष जैन
प्रकरण संख्या :– 76/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 164 व 164/1 की रकबा 20.13 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर भोपालगढ़–आगंणवा सड़क के उत्तर में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया। उनके द्वारा भोपालगढ–आगंणवा सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 75 फीट छोड़े जाने हेतु ले–आऊट प्लान में अंकन कर दिया गया हैं। उक्त भूमि में से होकर विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही हैं, विद्युत हाईटेन्शन लाईन के सहारे–सहारे 40′ सड़क प्रस्तावित की गई हैं, उसे 60′ चौड़ा करने हेतु आवश्यक संशोधन किया गया हैं, ताकि हाईटेन्शन लाईन के दोनो ओर पर्याप्त दूरी रह सके। इसके साथ–साथ इस प्रस्तावित सड़क के सहारे–सहारे स्थित भूखण्डो पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नही हो।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण किया गया हैं, जिनका

निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप किया जाना हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 160/3 की रकबा 6 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री प्रेमसिंह व श्रीमती माडीदेवी
प्रकरण संख्या :– 39/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 160/3 की रकबा 6 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर आगंणवा–बरमाना सड़क के दक्षिण–पूर्व दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण सम्बन्धित उपायुक्त, उप नगर नियोजक एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे एवं मौका स्थिति उक्तानुसार पाये जाने पर प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 160/2 की रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री कानाराम, जयसिंह वगैराह
प्रकरण संख्या :– 40/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 160/2 की रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर आगंणवा–बरमाना सड़क के दक्षिण–पूर्व दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया

निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप किया जाना हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 160/3 की रकबा 6 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री प्रेमसिंह व श्रीमती माडीदेवी
प्रकरण संख्या :– 39/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 160/3 की रकबा 6 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर आगंणवा–बरमाना सड़क के दक्षिण–पूर्व दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण सम्बन्धित उपायुक्त, उप नगर नियोजक एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे एवं मौका स्थिति उक्तानुसार पाये जाने पर प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 160/2 की रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री कानाराम, जयसिंह वगैराह
प्रकरण संख्या :– 40/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 160/2 की रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर आगंणवा–बरमाना सड़क के दक्षिण–पूर्व दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया

हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण सम्बन्धित उपायुक्त, उप नगर नियोजक एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे एवं मौका स्थिति उक्तानुसार पाये जाने पर प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

13. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 60 की रकबा 15 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री शंकरलाल पुत्र श्री हरजी।
प्रकरण संख्या :– 55/11

उक्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2011 में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर समिति ने विचार–विमर्श कर आवेदक के स्वामित्व की भूमि की सम्पूर्ण 15 बीघा भूमि ले–आऊट प्लान प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि उसके स्वामित्व की शेष बची 4 बीघा भूमि पर कुआ बना हुआ हैं, जिस पर वह खेती कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता हैं।

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 60 की रकबा 15 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर जैसलमेर–जयपुर बाईपास सड़क के पश्चिम में अन्दर की ओर स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया। आवेदित भूमि के उत्तर एंव पूर्व दिशा में स्थित समीपीय भूमियो के आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं, तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए 60 फीट एवं 40 फीट चौड़ी सड़क से भीं एप्रोच उपलब्ध होती हैं। उक्त सड़क को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में प्रावधानिक किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया एवं प्रार्थी के शपथ–पत्र के मद्देनजर संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण नही किया गया हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

14. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 380 की रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री हुकमाराम, श्री तुलसीराम, श्री मंगलाराम वगैराह
प्रकरण संख्या :– 60/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 380 की रकबा 11 बीघा 05 बिस्वाभूमिआवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर पाल–सांगरिया सड़क से दक्षिण में जाने वाली राजस्व रास्ते की पश्चिम दिशा में स्थित हैं। आवेदित भूमि के उत्तर दक्षिण एंव पूर्व दिशा में स्थित समीपीय भूमियो के आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं, तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए 40′ चौड़ी सड़क से भीं एप्रोच उपलब्ध होती हैं। उक्त सड़क को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में प्रावधानिक किया गया हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण कर ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनो के अनुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमि के ले–आऊट का पूर्व में स्वीकृत ले–आऊट प्लान पर सुपर इम्पोज किया जावे। पूर्व में स्वीकृत ले–आऊट प्लान की सड़को का इस ले–आऊट प्लान में प्रस्तावित सड़को से लिंक किया जावे तथा इस बात की सुनिश्चितता की जावे कि पूर्व में स्वीकृत ले–आऊट प्लान में आरक्षित सुविधा क्षेत्र का प्रतिशत, इस ले–आऊट प्लान में प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र से कम नही हो। उक्त भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण नही किया गया हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

15. राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 82 व 82/1 की रकबा 12.16 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्रीमती कविता देवी एवं श्रीमती दयाल कंवर
प्रकरण संख्या :– 34/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 82 व 82/1 की रकबा 12.16 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर गंगाणा से बासनी सिलावटा जाने वाली सड़क के पश्चिम में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। आवेदित भूमि के समीपीय भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं, तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार बासनी सिलावटा जाने वाली सड़क से आवेदित भूमि के लिए पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 40' चौड़ा रखा गया हैं। उक्त सड़क को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में प्रावधानिक किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये संशोधनो के मद्देनजर ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुरूप किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की सहमति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

16. राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 162/2 की रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री अकबर खां पुत्र श्री केसू खां
प्रकरण संख्या :– 55/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 162 की रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर गंगाणा से बासनी सिलावटा जाने वाली सड़क के पूर्व में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान के सम्बन्ध में निदेशक (आयोजना) से तकनीकी परीक्षण किया गया हैं, जिसमें संशोधन करते हुए ले–आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई हैं। आवेदित भूमि के समीपीय भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं, तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार बासनी सिलावटा जाने वाली सड़क से आवेदित भूमि के लिए पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 40' चौड़ा रखा गया हैं। उक्त सड़क को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में प्रावधानिक किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी की भूमि का रकबा प्रस्तुत ले–आऊट प्लान से अधिक हैं। प्रार्थी शेष भूमि का क्या उपयोग करेगा यह स्पष्ट नही हैं। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि के शेष रकबे के उपयोग के सम्बन्ध में प्रार्थी से पूछा जावे एवं सन्तोषजनक स्थिति पाये जााने पर प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

17. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 1, 1/1 व 1/2 की रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री कचरूराम, श्री राम पाल वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 246/10

उक्त प्रकरण पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त भूमि की 90–बी सम्बन्धी कार्यवाही पूर्व में हो चुकी हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। साथ ही ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 में हुए अन्य निर्णयो की पालना की जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

18. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 275, 275/5 की रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री नानकराम
प्रकरण संख्या :– 55/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 275, 275/5 की रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक–प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया गया। आवेदित भूमि के उत्तर एंव पूर्व दिशा में स्थित समीपीय भूमियो के फार्महाऊस

प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किये गये हैं, तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए 60′ चौड़ी सड़क से भीं एप्रोच उपलब्ध होती हैं। उक्त सड़क को यथावत आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान में प्रावधानिक किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावें।

19. राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101 की रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री भैराराम वगैराह।
प्रकरण संख्या :– 225/10

उक्त प्रकरण पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 में प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 मे लिये गये निर्णयानुसार प्रश्नगत भूमि पर आवश्यक न्यूनतम एप्रोच सड़क उपलब्ध नही होने के कारण इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया एवं तदोपरान्त प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

20. राजस्व ग्राम नान्दड़ी के खसरा नम्बर 94 की रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री जसवन्त सिंह
प्रकरण संख्या 09/11

उक्त प्रकरण पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2011 में प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 28.07.2011 मे लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया एवं तदोपरान्त प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21. राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 114/1 व 114/2 की रकबा 12 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री केकैया उर्फ पुखराज व श्रीमती देवी वगैराह
प्रकरण संख्या :– 04/10

उक्त प्रकरण पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 में प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण पूर्व में ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 18.04.2011 मे रखे जाने पर ले–आऊट प्लान मानचित्र में भूखण्ड संख्या अंकित करने, प्रार्थीगणो के हस्ताक्षर एवं समीपीय राजस्व रास्ते का पटवारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही के उपरान्त प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी द्वारा ले–आऊट प्लान पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं एवं ले–आऊट प्लान में भूखण्ड संख्या भी अंकित कर दी गई हैं, परन्तु समीपीय राजस्व रास्ते का पटवारी द्वारा सत्यापन किया जाना शेष हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निदेशक (आयोजना) द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मध्यनजर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें अन्तिम रूप से ले–आऊट प्लान पटवारी द्वारा रास्ते के सत्यापन के उपरान्त ही जारी किया जावे। उक्त भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियो एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियो के लिये भूखण्डो का आरक्षण नही किया गया हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की सहमति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

22. राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 637/2, 638, 646, 648, 649/1 व 681 की रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :–डोली एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड जरिये महेन्द्र जालानी पुत्र श्री आर.बी. जालानी।
प्रकरण संख्या :– 33/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 637/2, 638, 646, 648, 649/1 व 681 की रकबा 67 बीघा 01 बिस्वा भूमिनगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक–प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि जोधपुर–झंवर सड़क के उत्तर में स्थित हैं, जिस पर 60' चौड़ी सड़क से एप्रोच उपलब्ध होती हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि पर एप्रोच के लिये दर्शित रास्ते की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी रास्ते का तरमीम करवा कर प्रस्तुत करे, उसके उपरान्त प्रकरण ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखे जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

23. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 90/2107 की रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्री रामचन्द्र, अशोक वगैराह
प्रकरण संख्या :– 100/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 90/2107 की रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमिआवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर बाईपास सड़क से सुरपुरा जाने वाले राजस्व रास्ते के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया एवं प्रार्थी के प्रतिनिधि को बुलाकर सुनने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कियदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

24. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 391 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :–श्रीमती कमला पत्नि रामचन्द्र भाटी
प्रकरण संख्या :– 44/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 391 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेड:1628:मण्डोर, दिनांक 23.04.2007 को अनुमोदित किया गया हैं, जिसे अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर पटवारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

25. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 169/1 की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री मोतीराम पुत्र श्री खुमाराम

प्रकरण संख्या :– 464/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 169/1 की रकबा 5 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। उक्त ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी सम्पूर्ण खसरे के किस भाग की भूमि का योजना मानचित्र स्वीकृत करवाना चाहता हैं एवं शेष भूमि किस प्रयोजन में उपयोग में ली जावेगी, यह स्पष्ट नही हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

26. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 168 की रकबा 10 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री चेलाराम पुत्र श्री हीराराम
प्रकरण :– 463/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 168 की रकबा 10 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेषित ले–आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। उक्त ले–आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण निदेशक (आयोजना) द्वारा किया गया हैं।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य हैं। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नही हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नही हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

पत्रावली के अवलोकन से समिति द्वारा पाया गया की प्रार्थी की भूमि का तरमीम मानचित्र उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी सम्पूर्ण खसरे के किस भाग की भूमि का योजना मानचित्र स्वीकृत करवाना चाहता हैं एवं शेष भूमि किस प्रयोजन में उपयोग में ली जावेगी, यह स्पष्ट नही हैं। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि खसरा मानचित्र पर तरमीम की कार्यवाही पूर्ण नही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण खसरे के सहखातेदारो से भी सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे एवं प्रस्तुत किये जाने वाले ले–आऊट प्लान पर भी उक्त सहखातेदारो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जावे। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रकरण आगामी ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

(Sd)
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

(Sd)
उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

(Sd)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखे जाने वाले बाकी बचे प्रकरणो की सूची/एजेण्डा :–

1. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 42 की रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्री विशनाराम पुत्र श्री ओमप्रकाश

2. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 193/1 की रकबा 6 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्री भुण्डाराम वगैराह।

3. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 253/2 व 253/3 की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– मधुकर प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक दिलीप सुराणा।

4. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 352/4 से 352/9 की रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्री अबुबक्र वगैराह।

5. राजस्व ग्राम आगंणवा के खसरा नम्बर 30 की रकबा 39 बीघा 08 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्रीमती दरिया कंवर।

6. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 277/1, 285/6 की रकबा 10 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्री राजकुमार वगैराह।

7. राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 135/1 की रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी व खसरानम्बर 139 की रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– ओगड़राम वगैराह।

8. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 356/1 की रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्रीमती छगनी देवी वगैराह।

9. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 125 की पत्रावली।

10. राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा नम्बर 97/1 की रकबा 15 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक श्री मदनलाल वगैराह।

11. राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 75/1 की रकबा 2 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक श्री गोपीकिशन

12. राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा नम्बर 277/1, 313/1 व 313/2 की रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक श्री रामनिवास वगैराह।

13. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 322/2 मी की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक श्रीमती गैकु देवी

14. राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101 की रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक श्री भैराराम पुत्र श्री बस्ताराम।

15. राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 186, 186/3, 183, 186/1 व 183/2 की रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक श्री रतनाराम वगैराह

16. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 197, 1898/197 की रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्री कानाराम वगैराह।

17. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 336 की रकबा 10.12 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन। आवेदक :– श्री गोपाराम।

18. अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की गत बैठको में रखे वे प्रकरण जो पुनः ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष रखे जाने हैं, कि सूची/एजेण्डा :–

जोन पूर्व :–

1. प्रकरण संख्या 225/10
2. प्रकरण संख्या 265/11
3. प्रकरण संख्या 9/2011
4. नान्दड़ा खुर्द का 101
5. खारड़ा रणधीर के खसरा नम्बर 33
6. नान्दड़ी के खसरा नम्बर 39, 40, 40/1

जोन पश्चिम :–

7. प्रकरण संख्या 34/11
8. प्रकरण संख्या 44/11
9. चौपासनी का 46/1
10. गंगाणा का 162/2
11. डोली 637/2, 638 से 646, 648

जोन उत्तर :–

12. प्रकरण संख्या 464/11
13. प्रकरण संख्या 523/11 मण्डोर खसरा नं. 1749/9/1
14. प्रकरण संख्या 523/11 बैठक दिनांक 28.07.2011
15. प्रकरण संख्या 366/10 चैनपुरा खसरा नं. 496, 498, 499, 501 से 505
16. प्रकरण संख्या 24/11 नेतड़ा खसरा नं. 357
17. प्रकरण संख्या 33/11 मण्डोर खसरा नं. 90/8, 90/9
18. राजस्व ग्राम चौपासनी चारणान्
19. प्रकरण संख्या 82/11
20. प्रकरण संख्या 477/11 आगंणवा के खसरा नम्बर 171
21. प्रकरण संख्या 366/07 मण्डोर 391
22. प्रकरण संख्या 464/11 गुजरावास 169/1
23. प्रकरण संख्या 463/11 गुजरावास 168
24. राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 42
25. राजस्व ग्राम सुरपुरा का खसरा नम्बर 160/3

26. राजस्व ग्राम सुरपुरा का खसरा नम्बर 160/2
27. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 1, 1/1, 1/2
28. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 275, 275/5
29. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 90/2107
30. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 391

जोन दक्षिण :–

31. प्रकरण संख्या 80/10
32. प्रकरण संख्या 54/11
33. प्रकरण संख्या 4/10
34. प्रकरण संख्या 11/10
35. प्रकरण संख्या 38/11 पाल के खसरा नम्बर 444/1, 444/3
36. प्रकरण संख्या 17/10 पाल के खसरा नम्बर 170
37. प्रकरण संख्या 2181/08 राजस्व ग्राम रतकुड़िया के खसरा नम्बर 266/6
38. प्रकरण संख्या 35/11 राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 145/1
39. प्रकरण संख्या 31/11 राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 440/1
40. प्रकरण संख्या 32/11 राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरानम्बर 315, 316
41. प्रकरण संख्या 47/11
42. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 76
43. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 319/7